# मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

## संक्षिप्त कार्य विवरण

### पत्रक भाग-एक

**शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 31, 1928)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि अब प्रशनों का द्वितीय चक्र शुरू होगा पूर्व में अनपस्थित माननीय सदस्यों के नाम क्रमशः पुकारे जायेंग, अगर वे उपस्थित होगें तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकेंगे। द्वितीय चक्र में दो प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 96 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 83 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

## 2. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आज की प्रश्नोत्तर सूची में शामिल सभी 25 तारांकित प्रश्नों का दूसरा चक्र भी निर्धारित समय से पूर्व पूरा होने के कारण कार्यसूची में निहित अन्य विषय लिया जाता है।

## 3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री शिवराज शाह, सदस्य की मण्डला जिले के मंडला और रामबाग (पुरवा) के बीच पुल का निर्माण किये जाने,

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में मध्यान्ह भोजन कागजों तक सीमित रहने,

(3) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में मोगिया जाति के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र न बनाये जाने,

(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा खण्ड स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों से स्थानांतरण कर रिक्त पद न भरे जाने ,

(5) श्री के डी. देशमुख, सदस्य की न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल भोपाल व बुरहानपुर ताप्ती मिल कंपनी की अतिशेष भूमि बेचने की स्वीकृति न दी जाने,

(6) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिला चिकित्सालय में एक प्रसूति गृह एक डीलक्स वार्ड अस्पताल भवन शिलान्यास हेतु बजट आवंटन उपरान्त भी नहीं बनाये जाने,

(7) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले के विकास खण्ड प्रभात पट्टन एवं आठनेर के कई आदिवासी गांवों के किसानों की सोयाबीन फसल में कीड़े लगने से फसल चौपट होने,

(8) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य की भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र में सड़कों की जर्जर हालत होने,

(9) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की प्रदेश में पुरातत्वों को अवलोकन की फीस बढ़ाई जाने तथा

(10) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य की प्रदेश की नदियों से रेत का निःशुल्क खनन करने की छूट दिये जाने.

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

## 4. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष,श्रीमती जमुना देवी ने अनुरोध किया है कि अपरिहार्य कारण से माननीय सदस्यों को आज सदन से अनुपस्थित रहना है। अतः सदन की कार्यवाही आज स्थगित की जाकर जो आज की कार्यसूची के कार्य है, उनको सोमवार दिनांक 24 जुलाई, 2006 को लिया जाय। इस संबंध में सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः आज की कार्यसूची के पद 2,5 एवं 6 तथा 7 के क्रमांक (3) को छोड़कर कार्य पूर्ण होने पर सदन की कार्यवाही स्थगित की जायेगी तथा आज की कार्यसूची के क्रमांक 8 एवं 9 के कार्य को छोड़कर शेष कार्य सोमवार दिनांक 24 जुलाई , 2006 एवं आगे के दिनांकों की कार्य सूची मे लिये जायेंगे।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

## 5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखी :-

(1) क्रमांक - 832 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 22 मार्च, 2006

(2) क्रमांक 579 / मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 25 फरवरी, 2006

(3) क्रमांक 719 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 10 मार्च, 2006

(4) क्रमांक 1236 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 11 मई, 2006

(5) क्रमांक 498 / मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 16 फरवरी, 2006

(6) क्रमांक 1044 / मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 25 अप्रैल, 2006

(7) क्रमांक 922 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 10 अप्रैल, 2006

(8) क्रमांक 632 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 2 मार्च, 2006

(9) क्रमांक 1192 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 5 मई, 2006

(10) क्रमांक 3474 / एफ-आर.एस / 17 / 2002 / तेरह, दिनांक 3 जून, 2006 ; तथा

(11) क्रमांक 4052 -एफ - 11 -310 - तेरह, 2004, दिनांक 30 जून, 2006.

## 6. वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 24 जुलाई, 2006 का दो घण्टे का समय निर्धारित किया गया।

## 7. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने दिनांक 6 मार्च, 2006 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 1049) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

## 8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006), तथा

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री गृह ने मध्यप्रदेश धर्म स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006),

सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये।

11 बजकर 07 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 24 जुलाई, 2006 (श्रावण 2, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**